



समाहरणालय, जहानाबाद



B1.

ई-मेल-assistant.director.jbd@gmail.com

पत्रांक-V-24/2018/435/जि०सा०सु०को०

जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग

दूरभाष -06114-223010

दिनांक...11...दिसम्बर 2018 ई०.

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद।

सेवा में,

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला-जहानाबाद।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जहानाबाद।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मखदुमपुर।

विषय :-

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना छूटे हुए पेंशनधारियों का आधार पंजीकरण एवं बैंक खाता खोलने हेतु दिनांक 17.12.2018 से 31.12.2018 तक शिविर के आयोजन के संबंध में।

प्रसंग :-

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत

सभी पेंशनधारियों को पेंशन राशि का भुगतान डी0बी0टी0 के तहत उनके बैंक खाते में किया जा रहा है। इस संबंध में विभागीय स्तर पर Aadhaar Based DBT के माध्यम से भुगतान पर भी विचार किया जा रहा है। अबतक जिले के लगभग 79802 पेंशनधारियों को ई0-लाभार्थी पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है, जिसमें 65906 पेंशनधारियों का आधार अपलोड किया जा चुका है, किन्तु मात्र 64999 पेंशनधारियों का ही आधार सीडिंग संभव हो पाया है। शेष 14803 लाभार्थियों का आधार सीडिंग नहीं हो पाया है। उच्च स्तर पर समीक्षा के दौरान इस पर खेद व्यक्त किया गया है एवं अविलम्ब उक्त सभी पेंशनधारियों का खाता प्राप्त करने एवं आधार पंजीकरण करने हेतु निदेशित किया गया है।

उपरोक्त के आलोक में दिनांक 17.12.2018 से 31.12.2018 तक सभी प्रखण्ड/नगर निकाय मुख्यालय में विशेष शिविर आयोजित करने का निदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें निम्नलिखित कार्रवाई अपेक्षित है :-

- (1) विशेष शिविर के आयोजन हेतु संबंधित प्रखण्ड के वरीय पदाधिकारी अपने-अपने प्रखण्ड के नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किये जाते हैं, जो उक्त शिविर के आयोजन हेतु गठित Monitoring Cell के सदस्य होंगे एवं शिविर आयोजन से पूर्व संबंधित प्रखण्ड के पदाधिकारियों एवं कर्मियों की समीक्षा बैठक आयोजित करेंगे। सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, जहानाबाद एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, जहानाबाद उक्त शिविर का अनुश्रवण करेंगे।
- (2) कार्यपालक पदाधिकारी उक्त शिविर के आयोजन के पूर्व अपने-अपने नगर निकायों की समीक्षा बैठक आयोजित करेंगे।
- (3) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी विशेष शिविर हेतु पंचायतवार/वार्डवार(शहरी क्षेत्र) रोस्टर(पदाधिकारी एवं कर्मी का नाम एवं मोबाईल संख्या के साथ) तैयार कर पत्र निर्गत करेंगे, जिसकी प्रतिलिपि जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, जहानाबाद को देंगे।

विकसित बिहार के साथ निश्चय

